रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2049] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938
No. 2049] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

का.आ. 2728(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय घोषणा स्कीम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल नियमों के नियम 3 में, उपनियम (1) में, खंड (घ) में उपखंड (II) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘‘परंतु जहां घोषणाकर्ता द्वारा स्थावर संपत्ति का अर्जन राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा साक्षीकृत है, वहां ऐसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य घोषणाकर्ता के विकल्प पर ऐसे स्टाम्प शुल्क मूल्य के रूप में लिया जा सकेगा, जिसकी वृद्धि वर्ष 2016-17 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के उसी अनुपात में है जो उस वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है, जिसमें संपत्ति रजिस्ट्रीकृत की गई थी :

परंतु यह और कि जहां स्थावर संपत्ति का अर्जन एक अप्रैल, 1981 से पूर्व किया गया था, पहले परंतुक के उपबंधों का प्रभाव ऐसे होगा मानो "स्टाम्प शुल्क मूल्य" शब्दों के स्थान पर "किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से घोषणाकर्ता द्वारा

अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल, 1981 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य" शब्द और "उस वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, जिसमें संपत्ति रजिस्ट्रीकृत की गई थी" शब्दों के स्थान पर "वर्ष 1981-82 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" शब्द रखे गए थे ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" से राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अभिप्रेत है ;

(ii) "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन यथाअधिसूचित ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है ।'।

3. मूल नियमों में, प्ररूप-1 के उपाबंध में,--

(अ) क्रम सं. III में, मद सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"1. स्थावर संपत्ति "मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें"

(i) संपत्ति की प्रकृति (भूमि /भवन/फ्लैट आदि) .....

(ii) संपत्ति का पता .....

(iii) वह नाम, जिसके अधीन धारण की गई है.....

(iv) अर्जन की तारीख.....

(v) नियम 3(1)(घ)(I) के अनुसार अर्जन की लागत.....

(vi) नियम 3(1)(घ)(II) के अनुसार 1 जून, 2016 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा यथा प्रक्कलित मूल्य.....

(vii) नियम 3(1)(घ) के परंतुक के अनुसार मूल्य.....

रजिस्ट्रीकृत विलेख की पहचान संख्या और तारीख	यदि संपत्ति का अर्जन 1.4.1981 को या उसके पश्चात् किया गया है तो स्टाम्प शुल्क के लिए अंगीकृत मूल्य	यदि संपत्ति का अर्जन 1.4.1981 से पूर्व किया गया है तो 1.4.1981 को उचित बाजार मूल्य	1.6.2016 को संपत्ति का सूचकांकित मूल्य

(viii) 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ..... ";

(आ) क्रम सं. (IV) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"V. क्या (I) में निर्दिष्ट आय का कोई भाग किसी काल्पनिक दायित्व के रूप में है.....हां /नहीं

VI. यदि (V) का उत्तर हां में है तो क्या ऐसा दायित्व प्रत्यक्षत: तुलन पत्र में प्रकटित किसी आस्ति से संबंधित है .....हां /नहीं

VII. यदि (VI) का उत्तर नहीं है तो निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

1. उत्तरदायित्व की प्रकृति

2. वित्त वर्ष, जिसमें उत्तरदायित्व सृजित किया गया था

3. दायित्व की रकम ..... "।

[अधिसूचना सं. 74/2016/ फा.सं.142/8/2016-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, का.आ. 1831(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. का.आ. 2705(अ) तारीख 12 अगस्त, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।